न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

असलम हुसैन गैस स्टॉव, फूल गली, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री असलम हुसैन पुत्र श्री मो० हुसैन, निवासीः फूल गली, दरगाह बाजार, अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 19.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर 3 व 5 किलोग्राम के अवैध गैस सिलेण्डर की बिक्री का व्यवसाय करते पाये जाने पर दरबार बेकरी के पास स्थित अनाधिकृत दुकान में 06 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	500 gm	-	अप्रमाणित सिलेण्डर
2	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	500 gm	-	अप्रमाणित सिलेण्डर
3	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	500 gm	-	अप्रमाणित सिलेण्डर
4	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	1.7 kg	1.2 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर
5	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	2.5 kg	2.0 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर
6	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	3.1 kg	2.6 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर

को कब्जेराज लिया गया। अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः 06 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री शेखर कोतवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी कंचन नगर, दौराई, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 06 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अप्रमाण्ति गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उसे रंजिशवश झूठी शिकायत पर षडयंत्रपूर्वक फंसाया गया है। वक्त जांच उसकी दुकान में जो सिलेण्डर पाये गये है वह उसके घर के सिलेण्डर है। अप्रार्थी भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नही करेगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रार्थना पत्र तथ्यो को स्वीकार किया है। वक्त जांच उनके द्वारा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक 06 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner